न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 46/2014
दर्ज दिनांकः 25/07/2014
निर्णय दिनांक : 27/02/2018

नारायणी देवी धर्मपत्नि बद्रीनारायण जाति जाट, निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. जगदीश पुत्र भूरापुरी
2. राधेश्याम पुत्र भूरापुरी
3. सीताराम पुत्र भूरापुरी
4. हनुमान पुत्र भूरापुरी

   समस्त जाति गुसाई, निवासीः बीरमपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. नायब तहसीलदार/उप पंजीयक माधोराजपुरा उप तहसील माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती नक्शा ट्रेस

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी का साबिका खसरा नंबर 575 था जिसके बंटा खसरा नंबर 575/6 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं 575/3067 व 722 रकबा 12 बीघा वाके ग्राम बीरमपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें खसरा नंबर 575/6 की प्रार्थीया एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीया नजरी नक्शा ए.बी.सी.डी. बरंग लाल स्थान पर एवं अप्रार्थीगण खसरा नंबर 575/3067 व 722/3067 बजरी नक्शा बरंग नीला स्थान पर काबिज

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

काश्त है व सरकारी लगान जमा कराते आ रहे है एवं नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का एक प्रमुख अंग है। विवादग्रस्त आराजी का साबिका खसरा नंबर 575 था जिसके बंटा नंबर किये जाकर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया मगर नक्शा ट्रेस में कोई तरमीम नहीं की गई एवं अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से साज करके उच्च अधिकारी के आदेश के बिना साजपूर्ण तरीके से पटवारी हल्का से खसरा नंबर 575/3067 के नक्शे ट्रेस में गलत तरमीम करवा ली जबकि मौके के अनुसार व कब्जे अनुसार तरमीम नहीं की गई एवं प्रार्थीया को बिना सूचना के की गई तरमीम है जो गलत है एवं निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने साबिका खसरा नंबर 575 का नक्शा ट्रेस में तरमीम बाला बाला की है एवं प्रार्थीया एवं खातेदारान की बिना सहमति से की गई तरमीम एवं कब्जा अनुसार तरमीम नहीं की गई है जबकि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम का अंकन होना चाहिये अपितु प्रार्थना नजीरे नक्शे मार्क ए.बी.सी.डी. बरंग लाल स्थान पर काबिज है एवं पटवारी हल्का ने अप्रार्थीगण के कब्जे से अधिक प्रार्थीया के कब्जे में तरमीम की है जो मौके एवं कब्जा अनुसार नहीं होने के कारण गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने साबिका खसरा नंबर 575 के बंटा नंबर 575/3067 की गलत तरमीम नक्शा ट्रेस में करवाने के बाद उक्त खसरा नंबर का चुपचाप अप्रार्थीगण ने साजपूर्ण तरीके से तकासमा करवा लिया जिसके बंटा नंबर 575/3067 रकबा 8 बीघा व खसरा नंबर 722/3067 रकबा 4 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया जबकि उक्त नक्शा ट्रेस में कब्जे के आधार पर तरमीम ही गलत है तो अप्रार्थीगण ने साजपूर्ण तरीके से तकासमा किया है वह भी गलत है एवं उक्त नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 575/3067 की तकासमा के अनुसार खसरा नंबर 722/3067 की तरमीम कराने में अप्रार्थीगण आमादा है। प्रार्थीया ने अपनी कब्जाशुदा आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को समतल व उन्नत बना ली है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थीया को हैरान व परेशान करने की नियत से पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम करवाई एवं गलत तरमीम के आधार पर अप्रार्थीगण बिना कब्जे ही तकासमा करके बंटा नंबर का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा लिया एवं अप्रार्थीगण गलत तरमीम व तकासमा के आधार पर प्रार्थीया को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की कब्जाशुदा आराजी पर दिनांक 18.07.2014 को आये एवं प्रार्थीया की कब्जाशुदा नजरी नक्शा मार्क ए.बी.सी.डी बरंग लाल स्थान पर डोल लगाने

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

की बातचील करने लगे तब प्रार्थीया ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि मैनें पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेस में इस जगह की तरमीम करवा ली है एवं तुम्हे इस जगह से बेदखल करके नक्शा ट्रेस के आधार पर काबिज होकर आराजी का बेचान करेगे इसलिये प्रार्थीया को अपने हितो की रक्षार्थ हेतु तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। राज0 कर्मचारी ने बिना खातेदारान को सूचित किये बिना उनकी सहमति के बिना व उच्च अधिकारी के आदेश के बिना अप्रार्थीगण से साज करके व नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से नक्शे में गलत तरमीम कर दी है जो विधि विरूद्व एवं निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि नजरी नक्शे में बरंग लाल स्थान पर प्रार्थीया काबिज है एवं अप्रार्थीगण गलत तरमीम व तकासमा के आधार पर खसरा नंबर 722/3067 का नक्शे में तरमीम करवाकर प्रार्थीया को बेदखल करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीया को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी एवं खर्चे से जेरबार होगे जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना असंभव होगा इसलिये अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया अपने कब्जे के अनुसार वास्तविक तौर पर वर्तमान समय तक काबिज चली आ रही है एवं अप्रार्थीगण का प्रार्थीया की कब्जे काश्त की आराजी से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है ऐसी अवस्था में उक्त गलत की गई तरमीम दुरूस्त फरमाया जाना प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार न्यायहित में अति आवश्यक है जबकि प्रार्थीया ने वादग्रस्त आराजी में गै.मु. चाह का निर्माण कर रखा है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर साबिक खसरा नंबर 575 के बंटा नंबर 575/6 में 575/3067 की तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थीया व सह खातेदार के कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं अनुपालना कराये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 5 व 6 प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि मुताबिक जमाबंदी आराजी खसरा नंबर 575/6 वादी के नाम तथा 575/3067 व 722/3067 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 575/3067 सैटलमेन्ट खतौनी के अनुसार तत्समय से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खातेदारी चली आ रही है। मुताबिक ट्रेस खसरा नंबर 575/3067 का कोई नवीन तरमीम होना नहीं पाया जाता है पूर्व से ही उक्त खसरा नंबर नक्शा ट्रेस डोटेड लाईन द्वारा बना हुआ है। खसरा नंबर 575/3067 का नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 30.01.13 को सहमति का विभाजन करवाकर उक्त नंबर को दो भागो में विभाजित प्रतिवादीगण द्वारा करवाया गया है किन्तु नक्शे में किसी प्रकार की काई तरमीम नहीं की गई है। खसरा नंबर 575/3067 की नक्शा ट्रेस में पूर्व से ही डॉटेड लाईन से ही सीमा दर्शित है। नवीन तरमीम का कोई औचित्य ही नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार फागी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया खसरा नंबर 575/6 की प्रार्थीया एवं खसरा नंबर 575/3067 व 722/3067 के प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। पक्षकारान के मध्य नक्शे में उक्त खसरा नंबरान की तरमीम को लेकर विवाद है जिसके निराकरण के लिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित आराजी की मौकास्थिति की जांच कर, समस्त पक्षकारान की खातेदारी भूमि की पैमाईश कर, यदि वांछित तरमीम दुरूस्ती हो तो, तरमीम को दुरूस्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)